न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास डॉ. दिव्या RAS
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
राजस्व मूल वाद संख्या 47/2023
अनुवान सीतारामदास बनाम मनोहरी देवी आदि
निर्णय दिनांक :– 18/12/24

1. सीतारामदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. मनीरामदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. लिछमणदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
4. हुकमदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
5. हंसराज पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
6. गोपालदास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
7. गोविन्ददास पुत्र किशनदास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू

–वादीगण

बनाम्

1. मनोहरीदेवी पत्नी सेवादास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. राजूदास पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. शंकरदास पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
4. जगदीश प्रसाद पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
5. परमदास पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी हरदेसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते प्राप्त करने डिक्री घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती बरूवे शहादत लिखित,

मौखिक दस्तावेजी दफा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः

1. श्री रामनिवास सारण, अमरचन्द सिद्ध विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. श्री अजय कुमार सारण, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 01 ता 05
3. तहसीलदार भानीपुरा वास्ते प्रतिवादी सं. 06

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पूर्वजों किशनदास, सेवादास व रूघादास की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 200 तादादी 128 बीघा 12 बिश्वा रोही हरदेसर में स्थित थी। जिस भूमि का किशनदास, सेवादास व रूघादास ने विभाजन कर लिया। बाद विभाजन उक्त कृषि भूमियों के नये खसरा नम्बर कायम हुए और किशनदास के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 599/200 रकबा 9.76 हैक्टेयर, सेवादास के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 597/200 रकबा 7.59 हैक्टेयर तथा रूघादास के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 598/200 रकबा 15.18 हैक्टेयर आई। जिन भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता किशनदास, सेवादास तथा रूघादास अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 599/200 पर वादीगण तथा ख0 नं0 597/200 पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का अपने हिस्सों के मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की कब्जा काश्त के विपरित एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की कब्जा काश्त के विपरित राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टी चली आ रही है। वादीगण का ख0नं0 597/200 में प्रविष्टी अंकित है एवं इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की प्रविष्टी ख0नं0 599/200 में चली आ रही है। जबकि वादीगण शुरू से ही ख0 नं0 599/200 पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। वादगत कृषि भूमि के विभाजन एवं कब्जा काश्त के मुताबिक वादीगण के पिता किशनदास एवं वादीगण के पिता के भाई सेवादास व रूघादास ने निरन्तर कब्जा काश्त मद सं0 2 में वर्णितानुसार ही चली आ रही है। वादगत कृषि भूमि के इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकॉर्ड में रूघादास का हिस्सा सही दर्ज हुआ। जबकि वादीगण के पिता किशनदास एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता सेवादास के नाम दर्ज प्रविष्टी में कब्जा काश्त व विभाजन के विपरित सहबन से खसरों की प्रविष्टियां हो गई। जो काबिले दूरूस्ती है। वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 599/200 के नये ख0नं0 462 रकबा 9.76 हैक्टेयर है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 597/200 के नये ख0 नं0 461 रकबा 7.59 हैक्टेयर है। जबकि भूमि मौका स्थिति व राजस्व नक्शा यथावत रखा गया। राजस्व कर्मचारियों को वादीगण के नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 599/200 के नये ख0 नं0 462 रकबा 9.76 हैक्टेयर दर्ज करना चाहिये था तथा प्रतिवादीगण के नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 597/200 के नये ख0 नं0 461 रकबा 7.59 हैक्टेयर दर्ज करना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने सहबन से नही त्रुटिवश वादीगण के रकबा की भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के रकबे की भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी। राजस्व कर्मचारियों ने वादगत कृषि भूमियों को गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने की घोषणा न्यायालय हाजा से करवा कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके के विपरीत गलत रूप से वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 599/200 जिसके हाल ख0 नं0 462 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की खातेदारी में दर्ज कर दिया और प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की कृषि भूमि ख0नं0 597/200 जिसके हाल ख0 नं0 461 को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि ख0 नं0 597/200 रकबा 7.59 हैक्टैयर भूमि जिसके नये ख0 नं0 461 है को प्रतिवादीगण के नाम तथा ख0नं0 599/200 रकबा 9.76 हैक्टेयर जिसके नये ख0 नं0 462 है को वादीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त परिवर्तन, रद्दोबदल वादीगण के खातेदारी अधिकारों के मुकाबले आरम्भ से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। जिसकी रूह से कायम हुए राजस्व रिकॉर्ड आदितः शून्य है। जिसे वादीगण संशोधित करवाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम दर्ज ख0 नं0 462 रकबा 9.76 हैक्टेयर रोही हरदेसर कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने कानूनी अधिकारी है। इसलिए रिकॉर्ड दुरूस्ती के लिए वाद पेश किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 01 ता 05 पर विधिवत तामील होने के उपरान्त जरिये अधिवक्ता उपसंजात होकर इकबाल जबाब दावा पेश किया गया और वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी सं. 06 पर विधिवत तामील होने के उपरान्त राज पेरोकार उपस्थित। राज्य के विरूद्ध वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई नुक्शानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए जबाब की आवश्यकता नहीं होने पर जबाब बन्द किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया तथा वादीगण के दावा को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रतिवादीगण सं. 01 व 05 द्वारा वादी के वाद का कोई खण्डन नहीं किये जाने से कोई विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण द्वारा संस्थित वाद के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वादीगण के वाद का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया गया है तथा वादीगण द्वारा संस्थित वाद की स्वीकारोक्ति की

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

गई है। इसलिए वादीगण का वाद प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्तियों के आधार पर निर्णय किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णित कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 एवं प्रतिवादी सं. 02 की ओर से उपस्थित पेरोकार राज ने अधिवक्ता वादी की बहस का खण्डन नहीं किया तथा वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा की गई मौखिक बहस एवं वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों व नक्शों को अवलोकन किया गया। वादी के वाद को स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने में कोई विधिक बाधा भी नहीं है। इसलिए वादी द्वारा संस्थित वाद स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा हरदेसर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 462 तादादी 09.7600 हैक्टे. भूमि वादीगण के नाम व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 05 ख.नं. 461 तादादी 07.5900 हैक्टे. भूमि राजस्व अभिलेखो में दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं. 06 को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेखो व नक्शा किश्तवार में उपर्युक्त रूपेण दुरूस्ती करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान सीतारामदास आदि बनाम मनोहरी देवी आदि

वाद पत्र सं. 47/2023

अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामनिवास सारण एडवोकेट मिनजानिब मुदई व श्री अजय कुमार सारण, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा हरदेसर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.नं. 462 तादादी 09.7600 हैक्टे. भूमि वादीगण के नाम व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 05 ख.नं. 461 तादादी 07.5900 हैक्टे. भूमि राजस्व अभिलेखो में दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी सं. 06 को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेखो व नक्शा किश्तवार में उपर्युक्त रूपेण दुरूस्ती करे।

.....

.....बीज ..... मुबलिग .....

.....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....

फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	25	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	04	00			
मिजान	35	00	मिजान	01	00

Scanned with OKEN Scanner